न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 66 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/75)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 24.09.2021

1. श्री शंकरलाल पिता दल्लीचंद उर्फ दल्ला जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री जीतु पिता दल्लीचंद उर्फ दल्ला जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री बद्रीलाल पिता दल्लीचंद उर्फ दल्ला जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
4. मु. शंकरी पिता दल्लीचंद उर्फ दल्ला जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री माधुलाल पिता छोगालाल जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री गोवर्धनलाल पिता नारायणलाल जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ।
3. भैरूलाल पिता नारायणलाल जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ।
4. श्री काशीराम पिता नारायणलाल जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ।
5. श्री जगदीश पिता नारायणलाल जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ।

6. मु. मगनी बाई पत्नि नारायणलाल जाट, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. नरेश जणवा – अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 1, 3, 6

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम
1956 विरूद्ध सहायक कलक्टर, राशमी के
प्ररकण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 04.06.2018

निर्णय

दिनांक 24.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर, राशमी के प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 04.06.2018 के विरूद्ध दिनांक 13.06.2018 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नाथू पिता बेणीराम जाट, निवासी गणेशपुरा ने वादग्रस्त नामांतरकरण में वर्णित कृषि भूमि का एक वसीयतनामा अपीलांट संख्या 1 शंकरलाल के पक्ष में दिनांक 22.06.2000 को विधिवत रूप से लिखवा दिया जिसकी नायब तहसीलदार, राशमी द्वारा नियमानुसार मिसल कायम करा जांच करने के बाद ही उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में वसीयतकर्ता/खातेदार नाथू का वर्णित हिस्सा अपीलांट संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज करने का निर्णय/आदेश

पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की रतिमात्र भी गुंजाईश नही थी, फिर भी रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील पर प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 04.06.2018 से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नायब तहसीलदार, राशमी द्वारा मौजा गणेशपुरा, पटवार हल्का डिण्डोली के नामांतरकरण संख्या 85 एवं मौजा डिण्डोली, पटवार हल्का डिण्डोली के नामंतरकरण संख्या 1179 दिनांक 27.03.2001 से पारित निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार, राशमी को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील द्वितीय अपीला अंतर्गत धारा 76 राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.06.218 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः–***"अपील अपीलांट मियाद मय शुमार की जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 85 मौजा गणेशपुरा, पटवार हल्का डिण्डोली व नामांतरकरण संख्या 1179 मौजा डिण्डोली, पटवार हल्का डिण्डोली, तहसील राशमी को निरस्त किया जाता है, तथा पत्रावली तहसीलदार, राशमी को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि विधिवत मिसल कायम कर दोनों पक्षकरान को तलब कर पुनः विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 6 की ओर से श्री नरेश जणवा उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 15.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 के पिता नारायणलाल पिता छोगालाल जाट ने उक्त वसीयतनामा को फर्जी, कूटरचित, जाली बताते हुए अपीलांट शंकरलाल आदि के विरूद्ध दिनांक 15.10.2001 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 237/2001 अंतर्गत धारा 467–467–420 भा. द. स. के तहत दर्ज करायी जिसमें पुलिस ने अनुसंधान करते हुए उक्त वसीयतनामा को किसी प्रकार से जाली एवं कूटरचित नही मानते हुए सही पाते हुए उक्त प्रकरण में पुलिस थाना, राशमी द्वारा अंतिम नतीजा अनुसंधान अदम वकुआ झुठा मे कता कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, राशमी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से भी एफ. आर. स्वीकृत हुई है। फिर भी रेस्पोडेंट ने जानबुझकर उक्त सभी तथ्यों को दुराशयपुर्वक न्यायालय से छिपाते हुए मात्र अपील को अवधि में शुमार कराने के लिए वादग्रसत नामांतरकरण की प्रथम बार दिनांक 02.01.2018 को ही होने का झुठा अभिवचन करते हुए अपील पेश की है जिसका अपीलांट्स को जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय में इसका कोई विवेचन करते हुए अपील को अवधि में शुमार करते हुए मेरीट पर निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट संख्या 1 को खातेदार नाथू पिता छोगा ने गोदपुत्र मानते हुए उसके पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात को वसीयतनामा निष्पादित किया तथा शंकरलाल उक्त नाथू के जीवित ही उसके साथ बतौर पुत्र शामील शरीक रहने लग गया था तथा वादग्रस्त आराजीयात पर नाथू के हिस्से पर नाथू के जीवित ही काबिज होकर आदिनांक तक लगातार काश्त कर रहा है तथा नाथू के फौत होने के बाद उसकी पगडी भी अपीलांट संख्या 1 को पहनाई गई तथा सारा उत्तरकर्म भी शंकरलाल ने ही पुत्र की हैसियत से किया तथा आज भी अपीलांट संख्या 1 काबिज है। उक्त प्रकरण में सुनवाई का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही होकर राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत जिला कलक्टर को होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया

जाने योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किय गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1, 3 व 6 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी में प्रस्तुत अपील पर निर्णय दिनांक 04.06.2018 से मौजा गणेशपुरा, पटवार हल्का डिण्डोली के नामांतरकरण संख्या 85 एवं मौजा डिण्डोली, पटवार हल्का डिण्डोली के नामंतरकरण संख्या 1179 दिनांक 27.03.2001 से पारित निर्णय को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जो उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत बहाल रखा जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि नायब तहसीलदार राशमी द्वारा दिनांक 22.03.2021 को इंतकाल संख्या 85 ग्राम गणेशपुरा तथा इंतकाल संख्या 1179 मौजा डिण्डोली का जो नामान्तकरण तस्दीक किया है, उसकी प्रथम अपील रेस्पोंडेण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां अपील संख्या 01/18 विरूद्ध उनके निर्णय दिनांक 04.06.2018 के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

प्रकरण में अपीलाण्ट का सर्वप्रथम उज्र यह है कि तहसीलदार द्वारा विवादित नामान्तकरण के निस्तारण की अपील संभागीय आयुक्त को होती है तथा अविवादित नामान्तकरण की अपील जिला कलक्टर को होती है। इस प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां जिन प्रकरणों की अपील की है, वे अविवादित प्रकरण है अर्थात् उनमें उभय पक्षों को सुनकर निर्णय नहीं किया गया था। तहसीलदार द्वारा विवादित प्रकरण में सीधे वसीयत के आधार पर निर्णय कर दिया था अर्थात् नायब तहसीलदार, राशमी को विवादित प्रकरण में निर्णय अविवादित नामान्तकरण का निर्णय था। धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार ग्राम पंचायत के नामान्तकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी को **Lie** होती है तथा तहसीलदार जो कि भू अभिलेख अधिकारी होता है, उसके

मूल निर्णय की अपील जिला कलक्टर को होती है, न की उपखण्ड अधिकारी को। इस प्रकरण में नायब तहसीलदार के प्रथम अविवादित निर्णय की अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनकर जो निर्णय किया गया है, वह प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार से परे निर्णय है क्योंकि स्पष्टतः नायब तहसीलदार के मूल नामान्तकरण निर्णय की अपील का श्रवणाधिकार जिला कलक्टर का होता है। हम यह उचित समझते हैं कि सक्षमताविहीन निर्णय की वैधानिकता प्रथम दृष्टया ही नहीं रहती, अतएवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी का नामान्तकरण अपील का निर्णय प्रकरण संख्या 01/2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपील संख्या 01/2018 में किये गये निर्णय अपास्ती हो जाने के कारण प्रकरण में उभय पक्षों की विधिवत् सुनवाई कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 10.11.2021 को न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ में उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें तथा उपखण्ड अधिकारी की अपील पत्रावली निर्णय के साथ जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावें।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर